taas
Progress Through Science

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ीकरण

– एक दिशानिर्देश

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ीकरण

– एक दिशानिर्देश

प्रस्तावना

भारत में कृषि शिक्षा की समृद्ध विरासत है तथा इसका उद्भव मध्यकालीन युग में खोजा जा सकता है जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में कृषि को उनके पाठ्यक्रम को एक अंग के रूप में सम्मिलित किया गया था। समय के साथ कृषि शिक्षा में विकास हुआ तथा पूरे देश में अनेक कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस संबंध में उल्लेखनीय रिपोर्ट वर्ष 1955 और 1959 में प्रस्तुत की गई भारतीय–अमेरिकी दलों की रिपोर्ट, तथा 1960 के दशक के आरंभ में कमिंग्स समिति की संस्तुतियां थीं, जिससे कृषि शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका की लैंड ग्रांट प्रणाली के आधार पर पूरे देश में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा अनुसंधान एवं विस्तार का एकीकरण हुआ। पंतनगर में स्थापित गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय) देश में लैंड ग्रांट प्रणाली के अंतर्गत स्थापित पहला विश्वविद्यालय था। वर्तमान में, पशुचिकित्सा, बागवानी और मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों सहित देश में 76 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, 4 भा.कृ.अनु.प. के मानद विश्वविद्यालय (DUs), 3 केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAUs) तथा कृषि संकाय युक्त 4 विश्वविद्यालय हैं और सार्वलैकिक (General) विश्वविद्यालय भी कृषि के विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन संस्थानों ने कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप हरित, श्वेत और नील क्रांतियां हुईं और भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से परिवर्तित होकर खाद्य सुरक्षा सम्पन्न राष्ट्र बन गया।

पिछले वर्षों में कृषि शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे देश की बढ़ती हुई खाद्य एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम अत्यंत कुशल मानव संसाधन सृजित किया जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) का अधिदेश पूरे देश में कृषि शिक्षा का प्रबंधन, समन्वयन एवं मार्गदर्शन है। यह संस्था अपने अधिदेश को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत है। परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रतिरूप अधिनियम तैयार किया गया (जिसमें पांच बार संशोधन हो चुका है), अधिष्ठाता समिति (डीन्स कमेटी) के प्रतिवेदनों के माध्यम से पाठ्यक्रमों में संशोधन हुआ है तथा क्रमबद्ध सुधारों के साथ संस्थागत विकास की सहायता से विश्व बैंक की विशेष परियोजनाओं के माध्यम से इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुसार जहां भारत में सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है, वहीं उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों में से कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञान में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति–2020 में कृषि शिक्षा की क्षमता और गुणवत्ता, दोनों में सुधार का आह्वान किया गया है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में ऐसे चार हस्तक्षेपों के संदर्भ में शिक्षा 4.0 को परिभाषित किया है जिससे भारत में शिक्षा को और अधिक पहुंच योग्य तथा समग्र बनाया जा सकता है, ये हस्तक्षेप हैं : (i) आधारभूत साक्षरता एवं अंकन (Foundation Literacy & Numeracy), (ii) शिक्षकों की क्षमता का निर्माण, (iii) व्यावसायिक शिक्षा का विद्यालय से कार्य क्षेत्र में परिवर्तनगत प्रोन्नतिकरण और (iv) जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं उन्हें आपस में जोड़ना। इस तथ्य पर जोर देते हुए कि भारत में विद्यालय के बच्चों में सीखने की इच्छा उत्पन्न की जानी चाहिए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उल्लेखनीय संभावना है। 'शिक्षा 4.0 भारत प्रतिवेदन' में परिवर्तनशील ढांचे में जो विभिन्न कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण की संस्तुति की गई है। इस दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम, विषय–वस्तु, क्षमता, संचार तथा डिजिटलीकरण के विकास की वकालत की गई है, जिससे कौशल के लिए शिक्षा में सुधार लाया जा सके।

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के निष्पादन को प्रभावित करने वाले वर्तमान मुख्य मुद्दे हैं: (i) विश्वविद्यालयों का व्यापक एवम् अनियंतरित प्रसार (कुकुरमुत्तों की तरह), विशेष रूप से अपर्याप्त नियोजन, बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षकों से युक्त कृषि महाविद्यालयों/कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना जहां संसाधनों का आबंटन बहुत कम है; (ii) एकल संकाय का स्थापित किया जाना और एकल–संकाय वाले विश्वविद्यालयों जैसे पशुचिकित्सा, मात्स्यिकी और बागवानी के विश्वविद्यालयों का विद्यमान बहुसंकाय वाले विश्वविद्यालयों में द्विविभाजन या त्रिविभाजन किया जाना, इससे समेकित शिक्षा के भली प्रकार स्वीकृत सिद्धांत का उद्देश्य असफल हो जाता है; (iii) प्रशासन के हस्तक्षेप से संस्थानों की स्वायत्तता के साथ समझौता करना पड़ता है; (iv) शासन प्रणालियां सुशासन तथा सामाजिक लेखापरीक्षा आदि जैसी आधुनिक युक्तियों का लाभ नहीं उठा पाती हैं; (v) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अक्सर राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अति–सीमित धनराशि की समस्या का सामना करना पड़ता है और केन्द्र सरकार से भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। जो भी धनराशि मिलती है उसका अधिकांश भाग शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में व्यय हो जाता है तथा परिचालनीय व्ययों के लिए बहुत कम राशि बचती है जिससे शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; (vi) कृषि विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के बीच एकीकरण में कमी आ रही है जिसका – संकाय तथा मानव संसाधन विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; (vii) विकसित होती शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों और बदलती सामाजिक मांगों के साथ कृषि शिक्षा प्रणाली का सामंजस्य न होना; (viii) ऐसी सशक्त समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रणाली का अभाव जिसमें विज्ञान तथा नवोन्मेषों में श्रेष्ठता के साथ प्रतिभा को भी पुरस्कृत किया जा सके; (ix) श्रेष्ठता के लिए प्रोत्साहनों तथा पुरस्कारों से जुड़ी छात्र–आधारित शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली का अभाव; और (x) लक्ष्यों, परिणामों, निर्गमों और प्रभावों के बीच गंभीर अंतराल जिसका कारण जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों की अनुपलब्धता तथा उनका निम्न स्तर पर कार्यान्वयन।

इसके अतिरिक्त अनुसंधान तथा विस्तार स्टॉफ के बीच शिक्षण संबंधी उत्तरदायित्वों के बारे में विवादों से संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में हुए कुछ मामलों/मुद्दों के परिणामस्वरूप स्टॉफ की सेवा–संबंधी शर्तों के बारे में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही भा.कृ.अनु.प. प्रतिरूप अधिनियम का अनेक राज्यों द्वारा पालन भी नहीं किया जा रहा है।

विचारमंथन सत्र

उपरोक्त चुनौतियों, चिंताओं व सुधार की क्षमता एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए 'थिंक टैंक' कृषि विज्ञान उन्नयन ट्रस्ट (TAAS) ने भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसिएशन (आईएयूए) के साथ मिलकर 30 अक्तूबर 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC), पूसा, नई दिल्ली में **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली सुदृढ़ीकरण पर एक विचारमंथन सत्र** (Brainstorming Session) आयोजित किया। तकनीकी कार्यक्रम (अनुबंध I) के अनुसार इस विचारमंथन सत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अकादमियों से 45 अग्रणी कृषि विशेषज्ञों (अनुबंध II) ने व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल मोड में भाग लिया तथा इसमें भावी योजना व कार्यनीति विकसित करने के लिए कृषि शिक्षा प्रणाली में वांछित सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि शिक्षा में सुधारों के लिए वांछित कार्रवाई के महत्व और इसकी तात्कालिकता को अनुभव करते हुए विशेषज्ञों ने विचारार्थ तथा तत्काल कार्रवाई के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां दी हैं:

संस्तुतियां

सक्षम नीतिगत सहायता

1. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs), केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (CAUs), भा.कृ.अनु.प. –मानद विश्वविद्यालयों (DUs) तथा कृषि संकाय से युक्त सार्वलौकिक (General) विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से युक्त देश के कृषि उच्च शिक्षा के संस्थान वर्तमान में विविध विनियमनकारी एवं प्रबंधन प्रणालियों के अंतर्गत परिचालित हैं। अतः इस बात की आवश्यकता है कि शासन और प्रबंधन, संकाय के विकास और पाठ्यक्रम के निर्धारण में अंतरसंस्थागत सुसंगतता के स्वीकार्य न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किए जाएं। इस दिशा में 'राष्ट्रीय कृषि आयोग' तथा 'राष्ट्रीय किसान आयोग' जैसे पूर्व गठित संगठनों के समतुल्य 'राष्ट्रीय कृषि शिक्षा आयोग' के तत्काल गठन की अनुशंसा की जाती है, ताकि एनईपी–2020 से सामंजस्य बनाए रखते हुए वांछित सुधारों और उन्हें लागू करने के लिए वांछित अनुशंसा की जा सके जिससे आवश्यक मानव संसाधन विकास हेतु उभरती हुई विशिष्ट चिंताओं और समस्याओं का निपटारा हो सके।

2. राष्ट्रीय आयोग की संस्तुतियों को लागू करने तथा कृषि शिक्षा में वांछित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद की तरह 'भारतीय कृषि शिक्षा परिषद' की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है। यह परिषद संसद के विधेयक या अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के अंतर्गत स्थापित की जा सकती है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा की एकल–खिड़की विनियमन प्रणाली सृजित करने में सहायता मिलेगी। इससे भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECI) के अंतर्गत भा.कृ.अनु.प./डेयर के कार्यों के लिए उत्तरदायित्वों के प्रत्यायन और आबंटन की आवश्यकता होगी। ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से मंत्रिमंडल की स्वीकृति से पहले भी किया जा चुका है।

3. नई कृषि प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को सृजित करने के लिए तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्रासंगिकता को ध्यान में

रखते हुए कृषि शिक्षा को भी सामान्य शिक्षा के समान संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इससे राष्ट्रीय सार्वजनिक कल्याण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सृजन हेतु अंतर–संस्थागत समन्वयन व एकीकरण सुनिश्चित होगा जो कृषि–वृद्धि उन्नयन में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

4. स्टॉफ के बीच समानता लाने और भा.कृ.अनु.प.–राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के बीच विद्यमान सम्पर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भा.कृ.अनु.प./डेयर को राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिरूप अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए 'एक कोमल परंतु कठोर प्रणाली' की आवश्यकता है। इसके लिए भा.कृ.अनु.प. के परामर्श से नियुक्त ऐसे विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जिसे कृषि शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

5. विविधीकृत, पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि एवं संबंधित उद्यमों को लक्षित करते हुए शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार संबंधी गतिविधियों को गति देने के लिए सक्षम मानव संसाधन निर्मित करने हेतु भारतीय कृषि शिक्षा प्रणाली को सबल बनाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए कृषि शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी श्रेणी (रैंकिंग) में भी सुधार होगा। इसके लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों/मानद विश्वविद्यालयों/सार्वलौकिक विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी/निजी महाविद्यालयों सहित समस्त कृषि शिक्षा संबंधी संस्थाओं हेतु भा.कृ.अनु.प./डेयर द्वारा प्रत्यायन की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मामले में मूल्यांकन तथा संघटन के ध्यान देने वाले क्षेत्रों को व्यापक बनाना होगा तथा इस कार्य में वित्तीय और प्रबंधन विशेषज्ञों को सम्मिलित करने की भी आवश्यकता होगी।

6. एनईपी–2020 के अंतर्गत अधिदेश को पूरा करने के लिए विद्यमान शक्ति (बुनियादी ढांचा/मानव क्षमता) तथा वांछित अपेक्षाओं की विद्यमान शक्ति को देखते हुए भा.कृ.अनु.प. द्वारा केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर कृषि में मानव संसाधन पर एक व्यापक 'श्वेत पत्र' विकसित करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि भा.कृ.अनु.प. हमारी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार प्रणाली में औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, दोनों के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों के समन्वयन में मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य जारी रखे।

संस्थागत सुधार एवं श्रेष्ठता

7. नए कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है। एनईपी–2020 की भावना को देखते हुए भावी संस्थाओं को न केवल कृषि तथा सम्बद्ध विषयों के साथ बुनियादी/सैद्धांतिक विज्ञान, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, अभियांत्रिकी और मानव विज्ञान सहित एकीकृत शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें अल्पावधि के व्यावसायिक डिप्लोमा

पाठ्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। हमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) आदि के समतुल्य बहुविषयी शैक्षणिक तथा अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERU) के रूप में कुछ चुने हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों/सार्वलौकिक विश्वविद्यालयों का प्रावस्थानुसार उन्नयन करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इसके साथ ही जैसा कि पहले भी बल दिया जा चुका है, नया कृषि विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय खोलने के लिए भा.कृ.अनु.प./डेयर की स्वीकृति को अनिवार्य बनाना चाहिए। वांछित मानकों का पालन न करने वाली संस्थाओं की स्थापना को रोकने के लिए ऐसा किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

8. जैसा कि पिछले कई वर्षों में हुआ है कृषि विश्वविद्यालयों के विषय आधारित खंडीकरण से बचने और इस क्रिया को पलटने के लिए राज्यों तथा भा.कृ.अनु.प., दोनों के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यमान विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित मानव संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग के लिए बहु–संकाय प्रणाली से युक्त होने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रॉस एंरोलमेंट रेश्यो (GER) पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है तथा यह राज्य व राष्ट्र, दोनों ही स्तरों पर मानव संसाधन आंकड़ा से संबंधित अपेक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। इसे भा.कृ.अनु.प. के कृषि शिक्षा प्रभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तार्किक आधार पर ज्ञात या निर्धारित किया जाना चाहिए।

9. अन्य विषयों के समान कृषि शिक्षा में 'प्रतिष्ठित संस्थाओं' और 'राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं' को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाओं को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता दी जानी चाहिए तथा उन्हें देश में और इसके साथ ही विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भा.कृ.अनु.प. के मानद विश्वविद्यालयों, नामतः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल; भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर; और केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किए जाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही इन्हें विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे इन्हें वांछित स्वायत्तता प्राप्त हो तथा ये शिक्षा और वैज्ञानिक श्रेष्ठता के वैश्विक मानकों को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकें।

लैंड ग्रांट प्रणाली का पुनरावलोकन

10. जैसा कि एनईपी–2020 में उल्लिखित है, उभरती वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों और युक्तियों को ध्यान में रखते हुए कृषि के परिचालनीय क्षेत्र में रहते हुए तथा कृषि विस्तार को ध्यान में रखते हुए हमें उस विद्यमान लैंड ग्रांट प्रणाली के पुनरावलोकन की आवश्यकता है जिसे अब से लगभग 60 वर्ष पूर्व अपनाया गया था। इसके लिए एक उच्च–स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है जो हमारी कृषि शिक्षा प्रणाली में वांछित सुधारों पर सुझाव दे सकें। इस समिति

का अधिदेश विद्यमान शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना होना चाहिए, जिससे उसे और अधिक प्रासंगिक, लचीला और व्यापक बनाया जा सके जिसमें बुनियादी विज्ञानों तथा मानव विज्ञान को भी सम्मिलित किया जा सकता है, तथा जिससे हम नए अवसरों का लाभ उठाते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं कृषि–पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम एवं पूर्ण प्रकार प्रशिक्षित कृषि स्नातक तैयार कर सकें। यह उचित समय है जब हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) प्रणाली में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, और गणित के साथ कृषि को इस प्रणाली (STEAM) मे सम्मिलित करें। इस प्रकार के एकीकरण से उद्यमशीलता, व्यापार प्रबंधन, व्यावसायिक गतिविधियों की क्षमताओं को बढ़ाने और स्टार्ट–अप्स को प्रोन्नत करने का अवसर प्राप्त होगा।

11. इसके अतिरिक्त, कृषि कार्यस्थलों के शीघ्र परिवर्तित होते हुए परिदृश्य तथा ज्ञान–उत्पादों के घटते हुए जीवन काल को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पांच वर्ष में पाठ्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता है, जिससे इसे बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार गतिशील और अनुकूल बनाया जा सके। इसलिए पाठ्यक्रम के निरंतर उन्नयन की क्रियाविधि वांछनीय है।

12. 'शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन' की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अब प्रौद्योगिकी एकीकरण पर अधिक बल देना होगा। उभरती हुई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का पूरा–पूरा लाभ उठाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच (MEPF) से लाभ उठाने की आवश्यकता है। यह मंच कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में गठित किया गया है।

13. अधिक प्रासंगिक तथा बेहतर रूप से प्रशिक्षित होने के लिए स्नातक छात्रों को किसानों तथा अन्य हितधारकों की कार्य संबंधी दशाओं से पाठ्यक्रम के आरंभ में ही भली प्रकार परिचित करा दिया जाना चाहिए। अतः ग्रामीण कृषि संबंधी कार्य अनुभव (रावे–RAWE) से प्रक्षेत्र में छात्रों के काम करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता को अब छात्रों को तैयार करने के कार्यक्रम में परिवर्तित किया गया है। इसके पुनरावलोकन की भी आवश्यकता है, जिससे इसे और अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी बनाया जा सके।

मानव संसाधन विकास

14. चूंकि राज्य कृषि विश्वविद्यालय व्यावसायिक संस्थान हैं, अतः प्रगत प्रणाली को अन्य राष्ट्रीय कृषि संस्थानों से सामंजस्य में होना चाहिए, जिसके अंतर्गत अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार में योगदानों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। कुलपति से लेकर निम्न स्तर तक के कर्मचारियों तक संकाय सदस्यों का चयन प्रतिभा के आधार पर होना चाहिए, इसे व्यापक रूप से देश आधारित व पूर्णतः पारदर्शी होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

15. किसी छात्र की उसी संस्थान में अध्ययन करने की प्रवृत्ति व्यापक हो रही है जिससे अनुसंधान एवं शिक्षा का स्तर प्रतिकूल रूप

से प्रभावित हो रहा है। इसे उचित उपायों के माध्यम से न्यूनतम किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ उपाय हैं: (i) एम.एससी. और पीएच.डी. के परस्पर जुड़े कार्यक्रमों का आईआईटी/एनआईटी तथा विश्वस्तर के बहुविषयी विश्वविद्यालय के साथ प्रोन्नतिकरण; (ii) अति श्रेष्ठ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से मूलभूत तथा कार्यनीतिपरक अनुसंधान करना; तथा (iii) प्रमाणित प्रतिष्ठा के योजक/अनुबंधीय/एडजंक्ट प्राध्यापकों का प्रावधान तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अकादमी पीठों का सृजन।

निधिकरण

16. चूंकि अधिकांश राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के पास परिचालनीय गतिविधियों तथा बुनियादी ढांचे के उचित रखरखाव के लिए धनराशि की कमी है, अतः कृषि शिक्षा के लिए सरकारी धनराशि संबंधी सहायता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों को सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र, उद्योग के साथ संयुक्त उद्यमों, बंदोबस्ती निधियों, बाजार अभिमुख स्वतः धनराशि से चलने वाले पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने आदि जैसे अन्य स्रोतों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी मोड में धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाया जाना चाहिए तथा इसमें वांछित संगठनात्मक और प्रबंधात्मक सुधार किए जाने चाहिए, जिसके लिए भा.कृ.अ.प./डेयर के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

17. कृषि शिक्षा में, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, वांछित सुधार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) की द्वितीय प्रावस्था के लिए धनराशि जारी करने हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क साधा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अतिवांछित संगठनात्मक तथा प्रबंधात्मक सुधार लाना है, जिससे सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके।

18. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संसाधन सृजन की अपनी नीति के पुनरावलोकन पर विचार करना चाहिए तथा विद्यमान 'परिक्रामी निधि (Revolving Fund)' योजनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहनों का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को परामर्श सेवाएं देने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत भारत और विदेश के जाने–माने विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके साथ ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में 'श्रेष्ठता के केन्द्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस)' स्थापित करने का अधिकार भी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दिया जाना चाहिए। उच्चतर अध्ययन के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश लेने को प्रोत्साहन देने से संसाधन सृजन में सहायता मिलेगी। इसके लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों को प्रभावी सहयोगात्मक और संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के समतुल्य स्तर का बनना होगा।

स्टॉफ के पदनाम तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित मुद्दों का समाधान

19. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य करने का अधिकार होना चाहिए कि वे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निधि सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित समझौता ज्ञापनों का सम्पूर्ण भावना से पालन करे। यदि राज्य कृषि विश्वविद्यालय समझौता ज्ञापनों से प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो स्वीकृत परियोजनाएं उनसे वापस ले लेनी चाहिए और उन्हें तब तक लंबित रखना चाहिए जब तक राज्य कृषि विश्वविद्यालय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का पूर्णतः पालन न करे।

20. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कुछ राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कार्यपालक आदेशों द्वारा सृजित किए गए अनुशासन से संबंधित अदालत के मुकदमों की एक पक्षकार है, अतः परिषद को शीघ्र ही अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए किः (i) विद्यमान समझौता ज्ञापनों के अनुसार अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्रों/राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान नीति परियोजना का स्टॉफ संबंधित विश्वविद्यालय का है और (ii) उनकी सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभ समतुल्य पदों में 'कक्षा अध्यापकों' सहित अन्य स्टॉफ के समान होनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संबंधित विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से चल रही परियोजनाओं से संबंधित मामलों को एकमुश्त सुलझा लेना चाहिए। पूर्व में लैंड ग्रांट प्रणाली के अंतर्गत मौजूद प्रावधानों के अनुसार शिक्षकों तथा अनुसंधान और विस्तार वैज्ञानिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं था तथा ये दोनों ही एक–दूसरे के पदों पर स्थानांतरित हो सकते थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र जैसी दीर्घावधि योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने संबंधी नियमों/दिशानिर्देशों का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मानव शक्ति की स्वीकृति तभी प्रदान की जानी चाहिए, जब राज्य बिना किसी भेदभाव के पूरा उत्तरदायित्व उठाने को तैयार हों।

21. भविष्य में, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन को कुलपतियों के सम्मेलनों और भा.कृ.अनु.प. की क्षेत्रीय समिति की बैठकों में चर्चा के लिए स्थायी कार्यसूची की मद के रूप में रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही भा.कृ.अनु.प., विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों की उच्च–स्तरीय बैठकें भी समय–समय पर आयोजित की जानी चाहिए, ताकि जब भी कोई नए मुद्दे उभरें तो उनका समाधान किया जा सके।

22. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रारम्भ से ही इनकी भूमिका, इनके प्रभाव तथा इनसे हुए वित्तीय लाभों पर प्रकाश

डालने के लिए भा.कृ.अनु.प.–एनआईएपी अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर व्यापक प्रभाव विश्लेषण का कार्य किया जाना चाहिए। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी भा. कृ.अनु.प. की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं और कृषि विज्ञान केन्द्र की परियोजनाओं से प्राप्त विशिष्ट लाभ के संबंध में समय–समय पर ऐसे विश्लेषण करवाते रहना चाहिए।

23. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को इस दिशा में प्रभावित करने की तत्काल आवश्यकता है कि नये टर्म में 'कक्षा शिक्षकों' की क्या परिभाषा है, जिससे जो संकाय सदस्य 'अनुसंधान एवं विस्तार' के लिए अधिक समय देते हैं तथा 'कक्षा शिक्षण' के साथ–साथ ये कार्य भी करते हैं, उनके बारे में कोई भ्रम न रहे। ऐसा करना विद्यमान भ्रम को हटाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में इस संबंध में मंत्रालय स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लैंड ग्रांट प्रणाली के तीन एकीकृत कार्य नामतः, शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार जस–के–तस रहे और ये विघटित न हो।

24. टॉस, नास, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय एसोसियेशन (IAUA) जैसे विशिष्ट संस्थानों को कृषि शिक्षा से संबंधित मामलों पर विचार–विमर्श जारी रखना चाहिए तथा संयुक्त परामर्श करते रहना चाहिए क्योंकि यह भारत में कृषि–वृद्धि और विकास के सर्वश्रेष्ठ हित में वांछित है। साथ ही, इन संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में विज्ञान–आधारित दिशानिर्देशों को लागू किया जा सके।

सामान्य

25. सामान्यतः अनेक कृषि विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक मामलों पर समझौता करने के लिए समझौता–ज्ञापनों पर सहमत होना कठिन पाते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है और इसमें लंबा समय लग जाता है। एनईपी–2020 के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में आगे बढ़ें। अतः केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने में वांछित छूट दिए जाने की आवश्यकता स्पष्ट होना चाहिए।

26. विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी मुद्दों तथा नई चुनौतियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि न केवल हमारा उत्पादन बढ़े बल्कि लाभप्रदता, रोजगार, टिकाऊपन, पर्यावरण की सुरक्षा, सुरक्षित और पोषणिक खाद्य उत्पादन, किसानों को बाजार से जोड़ना तथा प्रौद्योगिकी के सृजन मात्र से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अतः यह आवश्यक है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सुधार करे और ये पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन पर आधारित दृष्टिकोणों के अनुसार हों और इन पााठ्यक्रमों में उत्पादन के पश्चात् मूल्यवर्धन व प्रबंधन, वाणिज्य, उद्यमशीलता तथा बाजार से सम्पर्कों को सम्मिलित किया जाए, जिससे इनके माध्यम से हितधारकों को अच्छी सेवा प्रदान की जा सके।

तकनीकी कार्यक्रम

मोडरेटर : डॉ. आर.एस. परोदा, अध्यक्ष, टॉस

स्थान:
एनएएएस (NAAS) समिति कक्ष 1, रा.कृ.वि.कां. (NASC) परिसर, नई दिल्ली
सोमवार, 30 अक्तूबर 2023

10.00–10.55	**उद्घाटन सत्र**	
09.30–10.05	स्वागत	**भाग मल**, सचिव, टॉस
10.05–10.15	सम्बोधन	**आर.सी. अग्रवाल**, उप महानिदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अनु.प.
10.15–10.25	सम्बोधन	**रामेश्वर सिंह**, अध्यक्ष, भा.कृ.वि.ए. (IAUA)
10.25–10.35	सम्बोधन	**आर.एस. परोदा**, अध्यक्ष, टॉस
10.35–10.50	मुख्य अतिथि सम्बोधन	**आर.बी. सिंह**, पूर्व अध्यक्ष, नास
10.50–10.55	धन्यवाद ज्ञापन	**दिनेश कुमार**, कार्यकारी सचिव, भा.कृ.वि.ए. (IAUA)
10.55–11.20	**ग्रुप फोटो तथा चायपान**	
11.20–13.00	**तकनीकी सत्र I: कृषि प्रणाली में वांछित सुधार**	
11.20–11.40	कृषि शिक्षा पर नास द्वारा आयोजित सम्मेलन (2013) की सिफारिशों का कार्यान्वयन	**आर.बी. सिंह**, पूर्व अध्यक्ष, नास
11.40–12.00	कृषि शिक्षा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ समायोजन	**तेज प्रताप**, पूर्व कुलपति, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
12.00–12.20	हमारी शिक्षा प्रणाली की चुनौतियां एवं चिंताएं	**पी एल गौतम**, संसाधन विशेषज्ञ, टॉस
12.20–13.00	चर्चा	

13.00–14.00	**भोजनावकाश**	
14.00–16.00	**तकनीकी सत्र II: भावी दिशा**	
14.00–14.10	अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार का एकीकरण सुनिश्चित करना	**अनुपमा सिंह**, संयुक्त निदेशक (शिक्षा), भा.कृ.अनु.प.–भा.कृ.अ.सं.
14.10–14.30	चर्चा– विशिष्ट सुझाव	
14.30–14.40	प्रत्यायन तथा निगरानी की प्रक्रिया	**अरविन्द कुमार**, पूर्व कुलपति, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
14.40–15.00	चर्चा – विशिष्ट सुझाव	
15.00–15.10	संसाधन सृजन की चुनौतियां	**ए.के. सिंह**, उपाध्यक्ष, नास
15.10–15.30	चर्चा – विशिष्ट सुझाव	
15.30–15.40	कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित करना	**वी. प्रवीण राव**, पूर्व कुलपति, प्रो.ज.ते. रा.कृ.वि. (PJTSAU)
15.40–16.00	चर्चा – विशिष्ट सुझाव	
16.00–16.20	**चायपान**	
16.20–17.00	**समापन सत्र**	
16.20–16.55	समापन टिप्पणियां	**रामेश्वर सिंह**, अध्यक्ष, भा.कृ.वि.ए., **पी एल गौतम**, संसाधन विशेषज्ञ, टॉस **त्रिलोचन महापात्र**, पूर्व सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भा.कृ.अनु.प. **आर एस परोदा**, अध्यक्ष, टॉस
16.55–17.00	*धन्यवाद ज्ञापन*	**जे.एल. करिहालू**, कोषाध्यक्ष, टॉस

प्रतिभागियों की सूची

1. **डॉ अनुराधा अग्रवाल**
राष्ट्रीय समन्वयक, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (एनएएचईपी), भा.कृ.अनु.प., कृ.अ.भ. II, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012
ईमेलः anuagrawal1@yahoo.co.in

2. **डॉ आर सी अग्रवाल**
उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) भा.कृ.अनु.प., कृ.अ.भ. II, पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012
ईमेलः ddgedn@icar.org.in

3. **डॉ. एच बी बाबालद**
अधिष्ठाता (कृषि) एवं परिसर अध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़–580065 (कर्नाटक)
ईमेलः hbbabalad@gmail.com

4. **डॉ चन्द्रशेखर एम बिरादर**
देश निदेशक–भारत, विश्व कृषिवानिकी, सीआईएफओआर–आईसीआरएएफ एशिया महाद्वीपीय कार्यक्रम, प्रथम तल, सी ब्लॉक, एनएएससी, पूसा, नई दिल्ली–110012
ईमेलः c.biradar@cifor-icraf.org

5. **डॉ के एम बुजरबरुआ**
उपाध्यक्ष, नास तथा पूर्व उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) और कुलपति, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट–785 013 (असम)
ईमेलः km_bujarbaruah@rediffmail.com

6. **डॉ प्रदीप कुमार छुनेजा**
अधिष्ठाता (स्नातकोत्तर अध्ययन), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना– 141004 (पंजाब)
ईमेलः deanpgs@pau.edu

7. **श्री कन्हैया चौधरी**
पूर्व निदेशक (विशेष कार्याधिकारी) भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली तथा संस्थापक अध्यक्ष, वी सर्वः एन इनिशिएटिव टु सर्व द अनसर्वड, दिल्ली–110091
ईमेलः chaudharykanhaiya100@gmail.com; kanhaiyachaudhary@weeserve.in

8. **डॉ मालविका दादलानी**
संपादक, नास तथा पूर्व संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), भा.कृ.अनु.प. –भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली–110012
ईमेलः malavikadadlani.md@gmail.com

9. **डॉ बी सी डेका**
कुलपति, असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट– 785013 (असम)
ईमेलः vc@aau.ac.in

10. **डॉ पी एल गौतम**
कुलाधिपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार; पूर्व अध्यक्ष, पीपीवी और एफआरए तथा एनबीए एवं पूर्व उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अनु.प.; एवं संसाधन विशेषज्ञ, टॉस, नई दिल्ली– 110012
ईमेलः plgautam47@gmail.com

11. **डॉ सीमा जग्गी**
सहायक महानिदेशक (मानव संसाधन विकास), भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः adg.hrd@icar.gov.in; seema.jaggi@icar.gov.in

12. **सुश्री ममता जैन**
दल संपादक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), एग्रीकल्चर वर्ल्ड, कृषि जागरण, नई दिल्ली
ईमेलः mamta.jain@krishijagran.com

13. **डॉ एस के जैन**
पूर्व प्राध्यापक, बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः skjainsst@gmail.com

14. **डॉ जे एल करिहालू**
न्यासी, टॉस तथा पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो एवं समन्वयक एपीसीओएबी, अपारी, नई दिल्ली–110012
ईमेलः jlkarihaloo@gmail.com

15. **डॉ एस के कश्यप**
अधिष्ठाता, कृषि, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर– 263145 (उत्तराखण्ड)
ईमेलः agpdean@yahoo.com; kashyapsk@gmail.com

16. **डॉ पी कौशल**
कुलपति, सीएसजीयूएचएफ, भरसार एवं उपाध्यक्ष भा.कृ.वि.ए. (IAUA), नई दिल्ली–110012
ईमेलः vc27uuhfm@gmail.com

17. **डॉ दिनेश कुमार**
कार्यपालक सचिव, भा.कृ.वि.ए. (IAUA), नई दिल्ली–110012
ईमेलः esiaua.newdelhi@gmail.com

18. **डॉ एन एच केलावला**
कुलपति, कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधी नगर, गुजरात एवं महासचिव, भा.कृ.वि.ए. (IAUA), नई दिल्ली–110012
ईमेलः vc@kamdhenuuni.edu.in

19. **डॉ अरविंद कुमार**
पूर्व उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) भा.कृ.अनु.प. एवं पूर्व कुलपति, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी– 284003 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलः akrlbcau@gmail.com

20. **श्री देवेन्द्र कुमार**
पूर्व निदेशक (वित्त), भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110001
ईमेलः devendranatp@gmail.com

21. **डॉ डब्ल्यू एस लाकड़ा**
सचिव, नास एवं पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई–400061 (महाराष्ट्र)
ईमेलः lakraws@hotmail.com

22. **डॉ भागमल**
सचिव, टॉस; पूर्व दक्षिण एशिया समन्वयक, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल तथा पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. –भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी–284128 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलः bhagml@gmail.com

23. **डॉ आई एम मिश्रा**
कुलपति, वीएनएमकेवी,
परभणी– 431401 (महाराष्ट्र)
ईमेलः vcvnmkv@gmail.com

24. **डॉ आर के मित्तल**
पूर्व कुलपति
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
मेरठ–250221 (उत्तर प्रदेश)
ईमेलः rakumittal@gmail.com

25. **डॉ त्रिलोचन महापात्र**
अध्यक्ष, पौधा किस्म एवं कृषक
अधिकार संरक्षण प्राधिकरण तथा पूर्व
सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
विभाग और महानिदेशक,
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः chairperson-ppvfra@nic.in

26. **डॉ आर एस परोदा**
अध्यक्ष, टॉस एवं पूर्व सचिव, पूर्व
सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
विभाग और महानिदेशक,
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः raj.paroda@gmail.com

27. **डॉ के एम एल पाठक**
पूर्व कुलपति, डीयूवीएएसयू
(DUVASU), मथुरा एवं पूर्व उप
महानिदेशक (पशुविज्ञान),
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110001
ईमेलः pathakkml@yahoo.co.in

28. **डॉ पी एल पाटिल**
कुलपति, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
धारवाड़– 580005 (कर्नाटक)
ईमेलः vc@uasd.in

29. **डॉ तेज प्रताप**
पूर्व कुलपति, गोविंद वल्लभ पंत
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, चौ.स.कु.हि.कृ.वि., पालमपुर
एवं कुलपति, शेरे कश्मीर कृषि
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
श्रीनगर–19002 (कश्मीर)
ईमेलः tpartap52@gmail.com

30. **डॉ वी प्रवीण राव**
पूर्व कुलपति, प्रो.ज.ते.रा.कृ.वि.
(PJTSAU), हैदराबाद–500030
(तेलंगाना)
ईमेलः velchalap@gmail.com

31. **डॉ सी एन रविशंकर**
निदेशक / कुलपति
भा.कृ.अनु.प.– केन्द्रीय मात्स्यिकी
शिक्षा संस्थान, मुम्बई– 400006
ईमेलः director.cife@icar.gov.in

32. **डॉ एन सेंथिल**
अधिष्ठाता एसपीजीएस
तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय,
कोयम्बत्तूर–641003 (तमिल नाडु)
ईमेलः deanspgs@tnau.ac.in

33. **डॉ ए आर शर्मा**
पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–
खरपतवार अनुसंधान निदेशालय,
जबलपुर– 482004
ईमेलः sharma.ar@rediffmail.com

34. **डॉ. अनुपमा सिंह**
अधिष्ठाता, स्नातक विद्यालय,
भा.कृ.अनु.प.–भा.कृ.अ.सं.,
नई दिल्ली–110012
ईमेलः anupamanil2000@gmail.
com

35. **डॉ रामेश्वर सिंह**
कुलपति, बिहार पशुविज्ञान
विश्वविद्यालय, पटना–800014
एवं अध्यक्ष, आईएयूए, नई
दिल्ली–110012
ईमेलः vc-basu-bih@gov.in

36. **डॉ आर बी सिंह**
पूर्व अध्यक्ष, नास; पूर्व निदेशक
एवं कुलपति, भा.कृ.अ.सं., तथा पूर्व
अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल,
नई दिल्ली–110012
ईमेलः rbsingh40@gmail.com

37. **डॉ ए के सिंह**
उपाध्यक्ष, नास, नई दिल्ली–110012
तथा पूर्व कुलपति, आरवीएसकेवीवी,
ग्वालियर– 474005
ईमेलः aksingh.icar@gmail.com

38. **डॉ बिजेन्द्र सिंह**
कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
अयोध्या–224001
ईमेलः vcnduat2018@gmail.com

39. **डॉ आर पी सिंह**
पूर्व कार्यपालक सचिव
आईएयूए, नई दिल्ली–110012
ईमेलः drsinghrp@rediffmail.com

40. **डॉ उमेश श्रीवास्तव**
परामर्शक, टॉस एवं पूर्व
सहायक महानिदेशक, (बागवानी),
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः srivastavaumesh@gmail.
com

41. **डॉ हेमा त्रिपाठी**
राष्ट्रीय समन्वयक, एनएएचईपी,
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः hematripathi1@gmail.com

42. **डॉ एस के उप्पल**
अधिष्ठाता स्नातकोत्तर विद्यालय
गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा
एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय,
लुधियाना– 141004 (पंजाब)
ईमेलः sk.uppal@yahoo.co.in

43. **डॉ सेंथिल विनायगम**
अध्यक्ष, शिक्षा प्रणाली प्रबंधन
प्रभाग,भा.कृ.अनु.प.–राष्ट्रीय
कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी,
हैदराबाद–500030
ईमेलः senthil@naarm.org.in

44. **डॉ ए के यादव**
सहायक महानिदेशक (शिक्षा)
भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली–110012
ईमेलः a.yadav@icar.gov.in

45. **डॉ शिव कुमार यादव**
प्रधान वैज्ञानिक, बीज विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी प्रभाग, भा.कृ.अनु.प.–
भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली–110012
ईमेलः sky_sst@yahoo.com

T JANAKIRAM
RB SINGH

RB SINGH
RS PARODA

om I, NASC Complex, New Delhi
SINGH
RAMESHWAR SINGH

N SENTHIL
MISHRA
MALAVIKA DADLANI

taas
Progress Through Science

प्रतियों के लिए सपर्क करें:

कृषि विज्ञान उन्नयन ट्रस्ट (टॉस)

एवेन्यू II, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110 012, भारत
फोन: +91-11-25843243; 8130111237
ईमेल: taasiari@gmail.com; वेबसाइट: www.taas.in

मुद्रित : नवंबर, 2023 (अंग्रेजी संस्करण)
मार्च, 2024 (हिन्दी संस्करण)